

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाद्र 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 13935-191-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का प्रतिस्थापन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. धारा ६ का संशोधन.
७. धारा ७ का संशोधन.
८. धारा ९ का संशोधन.
९. धारा ९-क का संशोधन.
१०. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक १८ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिभाषाएं.

"२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "मंत्री" में सम्मिलित है मुख्यमंत्री;
(ख) "पूर्व मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है, उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और उसमें सम्मिलित है विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य का ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री, जो उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था;
(ग) "विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य" तथा "उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य" के वही अर्थ होंगे जो कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० (२००० का २८) के खण्ड (ड) तथा खण्ड (ज) में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के वेतन के समतुल्य मानदेय का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री का कोई पद धारण करता है तो वह उस कालावधि के दौरान ऐसे मानदेय का हकदार नहीं होगा."

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा."

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा."

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

धारा ५ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, अपने सम्पूर्ण जीवन काल में किराए के भुगतान के बिना, मंत्री के समतुल्य किसी सुसज्जित निवास स्थान के उपयोग का हकदार होगा.”;

(दो) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”;

(तीन) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

धारा ६ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”;

(दो) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

धारा ७ का संशोधन.

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, इस उपधारा के अधीन उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

धारा ९ का संशोधन.

“परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित विश्राम भवनों (सरकिट हाउसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज) में वास सुविधा तथा विद्युत् की व्यवस्था का बिना किसी प्रभार के भुगतान के हकदार होगा.”.

| | |
|-----------------------|---|
| धारा १-क का संशोधन. | ९. मूल अधिनियम की धारा १-क में, अंतिम स्थान पर आए पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:— “परन्तु इस धारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को भी लागू होगा.” |
| निरसन तथा व्यावृत्ति. | १०. (१) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक २ सन् २०१७) एतद्वारा निरसित किया जाता है. (२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी. |

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र.-13935-191-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2017

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN
ADHINIYAN, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Substitution of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 5.
6. Amendment of Section 6.
7. Amendment of Section 7.
8. Amendment of Section 9.
9. Amendment of Section 9-A.
10. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN
ADHINIYAM, 2017**

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 24th August, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2017.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. For Section 2 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 2017 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 2.

“2. In this Act unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “Minister” includes Chief Minister;

(b) “Ex-Chief Minister” means the Ex-Chief Minister of the successor State of Madhya Pradesh and includes such Ex-Chief Minister of existing State of Madhya Pradesh who was elected from the Vidhan Sabha constituency of the successor State of Madhya Pradesh;

(c) “Existing State of Madhya Pradesh” and “successor State of Madhya Pradesh” shall have the same meaning as assigned to them in clause (e) and clause (j) of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000).

3. In Section 3 of the principal Act, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be added, namely:—

Amendment of Section 3.

“Provided that a Ex-Chief Minister” shall be entitled to an honorarium which shall be equivalent to the salary of a Minister:

Provided further that if a Ex-Chief Minister holds any post of Minister in the Central Government or State Government, then he shall not be entitled to such honorarium during that period.”.

4. In Section 4 of the principal Act,—

Amendment of Section 4.

(i) in sub-section (1), shall full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to a sumptuary allowance equivalent to a Minister, but he shall not be entitled to the sumptuary allowance as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly,”;

(ii) in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to a daily allowance equivalent to a Minister, but he shall not be entitled to the daily allowance as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly.”.

Amendment of Section 5.

5. In Section 5 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled throughout his life, without payment of rent, to the use of a furnished residence equivalent to a Minister.”;

(ii) in sub-section (4), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.”;

(iii) in sub-section (5), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.”.

Amendment of Section 6.

6. In Section 6 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.”;

(ii) in sub-section (2), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.”.

Amendment of Section 7.

7. In Section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to the facilities provided under this sub-section.”.

Amendment of Section 9.

8. In Section 9 of the principal Act, in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled, without payment of any charge, to accommodation in and provision of electricity at, circuit houses and rest houses maintained by the State Government.”.

Amendment of Section 9-A.

9. In Section 9-A of the principal Act, for full stop occurring at the last place, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the provision of this section shall also apply to a Ex-Chief Minister.”.

Repeal and saving.

10. (1) The Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhyadesh, 2017 (No. 2 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.